सं. 43/15/59-स्था.(क)

भरत सरकार

गृह मंत्रालय

दिनांक 19 जुलाई, 1960

कार्यालय ज्ञापन

विषय : स्थानांतरण/दौरा यात्रा भत्ता के साथ छुट्टी यात्रा रियायत - नियमन का प्रकार।

भारत सरकार के पास पिछले कुछ समय से यह प्रश्न विचाराधीन था कि स्थानांतरण होने पर या दौरे के साथ छुट्टी रियायत यात्रा का लाभ उठाते समय सरकारी कर्मचारी की क्या हकदारी होगी।

सामान्यत: निम्नलिखित प्रकार के मामले सामने आने की संभावना है:-

(i). स्थानांतरण यात्रा के साथ छुट्टी यात्रा रियायत - एक अधिकारी जो नियमित छुट्टी पर गृह नगर और वहां से स्थानांतरण पर नए मुख्यालय जा रहा हो।

(ii). दौरा यात्रा के साथ छुट्टी यात्रा रियायत -

(क). एक अधिकारी जो उचित रूप से पूर्व अनुमति लेकर नियमित छुट्टी लेकर किसी भ्रमण स्थल पर गया हो और वहां से गृह नगर और गृह नगर से सीधे मुख्यालय वापिस जा रहा हो; और

(ख). एक अधिकारी जो उचित रूप से पूर्व अनुमति लेकर गृह नगर से भ्रमण स्थल गया हो और वहां से मुख्यालय वापस जा रहा हो।

2. यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में निम्नानुसार संयुक्त दावे नियमित किए जाएं-

(क) उपर्युक्त पैरा 1(i) श्रेणी के मामलों में, अधिकारी को एस.आर. 124 या एस.आर. 126 के तहत, जैसा मामला हो, न्यूनतम हकदारी स्थानांतरण भत्ता स्वीकार्य किया जाए। इसके अतिरिक्त उसे नियमों के तहत जिस दूरी के लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता स्वीकार्य है जमा 500 मील की दूरी से अधिक के लिए पिछले मुख्यालय से गृह नगर तथा गृह नगर तथा गृह नगर से नए मुख्यालय की दूरी हेतु नियमों के तहत छुट्टी यात्रा रियायत स्वीकार्य हो।

ऐसे मामले जिनमें उपर्युक्त के अनुसार छुट्टी यात्रा रियायत के लिए दूरी स्वीकार्य होगी, ना के बराबर है, तथापि यह सरकारी कर्मचारी पर निर्भर करता है कि वह छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ बिल्कुल न उठाए, अन्य शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन ब्लॉक अवधि के अंदर वह किसी अन्य अवसर पर इसका लाभ उठा सकता है।

विकल्प का प्रयोग स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ते के लिए दावा प्रस्तुत करते समय किया जाना चाहिए।

जब छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ नहीं लिया जाता तो छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम, यदि सरकारी कर्मचारी ने लिया हो, को उसके हकदार यात्रा भत्ते के साथ समायोजित किया जाना चाहिए।